

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020—आषाढ़ 05, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती करूणा पाठक ध. प. श्री राकेश पाठक, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वाटर नंबर-2/ए, सड़क नंबर-67, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम करूणा शर्मा आत्मजा श्री ताराचंद शर्मा था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 09-02-1998 को श्री राकेश पाठक के साथ संपन्न हुआ। पश्चात मेरा नाम श्रीमती ऋचा पाठक हो गया। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा यही नाम दर्ज है। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती करूणा पाठक रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती करूणा पाठक ध. प. श्री राकेश पाठक के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

करूणा शर्मा,
श्रीमती ऋचा पाठक
पिता-श्री ताराचंद शर्मा
निवासी-ग्राम-आरंग,
तहसील-आरंग,
जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती करूणा पाठक
पति-श्री राकेश पाठक
निवासी-क्वाटर नंबर-2/ए,
सड़क नंबर-67,
सेक्टर-6, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनिषा इचे, ध. प. श्री प्रशांत कुमार इचे, उम्र 47 वर्ष, निवासी-C/o शॉप नं.-40, सी मार्केट, सेक्टर-1, वार्ड-38, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं। उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनिषा पी इचे दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम मनीषा इचे व जन्म तिथि 25-10-1973 है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है। मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम श्रीमती मनिषा इचे ध. प. श्री प्रशांत कुमार इचे दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती मनिषा इचे (Smt. Manisha Eache) ध. प. श्री प्रशांत कुमार इचे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मनिषा पी इचे
पति-श्री प्रशांत कुमार इचे
निवासी-C/o शॉप नं.-40,
सी मार्केट, सेक्टर-1,
वार्ड-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मनिषा इचे
(Smt. Manisha Eache)
पति-श्री प्रशांत कुमार इचे
निवासी-C/o शॉप नं.-40,
सी मार्केट, सेक्टर-1,
वार्ड-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धर्मेन्द्र साहेब गोस्वामी आत्मज श्री विद्या साहेब गोस्वामी, उम्र 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नंबर- 22/1, सड़क एवेन्यु बी., सेक्टर-01, वार्ड नंबर-38, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन नंबर - 490001 का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे पिता का वास्तविक नाम श्री विद्या साहेब गोस्वामी है। मेरे कक्षा ग्यारहवीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र साहेब गुरु गोस्वामी आ. श्री विद्या साहेब गुरु गोस्वामी दर्ज है। जो त्रुटिपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम धर्मेन्द्र साहेब गोस्वामी आ. श्री विद्या साहेब गोस्वामी रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे धर्मेन्द्र साहेब गोस्वामी आ. श्री विद्या साहेब गोस्वामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

धर्मेन्द्र साहेब गुरु गोस्वामी
पिता-श्री विद्या साहेब गुरु गोस्वामी
निवासी-क्वा. नंबर- 22/1,
सड़क-एवेन्यु बी., सेक्टर-01,
वार्ड नंबर-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन नंबर - 490001

नया नाम

धर्मेन्द्र साहेब गोस्वामी
पिता-श्री विद्या साहेब गोस्वामी
निवासी-क्वा. नंबर- 22/1,
सड़क-एवेन्यु बी., सेक्टर-01,
वार्ड नंबर-38, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन नंबर - 490001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Divya Harit ध. प. Shri Rohit Harit, उम्र 33 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-4-बी., सड़क नं.-50, सेक्टर-08, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व समस्त अभिलेखों में मेरा नाम Divya Khera दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 30-11-2012 को श्री रोहित हरित के साथ संपन्न हुआ. उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Yogya Harit दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती Divya Harit रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे व मेरे पति के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ.

अतः अब मुझे Smt. Divya Harit ध. प. Shri Rohit Harit के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

Divya Khera,
Yogya Harit
पति-Shri Rohit Harit
निवासी-क्वा. नं.-4-बी.,
सड़क नं.-50,
सेक्टर-08, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Smt. Divya Harit
पति-Shri Rohit Harit
निवासी-क्वा. नं.-4-बी.,
सड़क नं.-50,
सेक्टर-08, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार साहू आत्मज श्री छत्तर लाल साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी-प्लॉट नंबर-435/43, सड़क नंबर-14, आशीषनगर (पश्चिम) रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) पिन नंबर-490006 का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं तथा आई. टी. आई. के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रमेश कुमार आ. श्री छत्तर लाल, मेरे सर्विस रिकार्ड में रमेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम रमेश कुमार साहू आ. श्री छत्तर लाल साहू है जो कि मेरे कक्षा बारहवीं स्नातक व स्नातकोत्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेनकार्ड व समस्त अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने सर्विस रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, मेरे पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब मुझे रमेश कुमार साहू आ. श्री छत्तर लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रमेश कुमार
पिता-श्री छत्तर लाल
निवासी-प्लॉट नंबर-435/43,
सड़क नंबर-14,
आशीषनगर (पश्चिम)
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रमेश कुमार साहू
पिता-श्री छत्तर लाल साहू
निवासी-प्लॉट नंबर-435/43,
सड़क नंबर-14,
आशीषनगर (पश्चिम)
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, यथार्थ अब्बी आत्मज श्री जोगेन्द कुमार अब्बी, उम्र 29 वर्ष, निवासी-12, दीपक नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम यथार्थ अब्बी (Yatharth Abbi) था, जो कि मेरे संपूर्ण दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम यथार्थ अब्बी (Yatharth Abbe) आ. श्री जोगेन्द कुमार अब्बी (Jogend Kumar Abbi) रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे यथार्थ अब्बी (Yatharth Abbe) आ. श्री जोगेन्द कुमार अब्बी (Jogend Kumar Abbi) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
यथार्थ अब्बी (Yatharth Abbi) पिता-श्री जोगेन्द कुमार अब्बी (S/o-Shri Jogend Kumar Abbi) निवासी-12, दीपक नगर दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	यथार्थ अब्बी (Yatharth Abbe) पिता-श्री जोगेन्द कुमार अब्बी (S/o-Shri Jogend Kumar Abbi) निवासी-12, दीपक नगर दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील कुमार सोनी आत्मज श्री कामता प्रसाद सोनी, उम्र 54 वर्ष, निवासी-मकान नं.-20, वार्ड नं.-19, साकेत कालोनी, सिंधिया नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुशील (Sushil) दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरा पूर्ण नाम सुशील कुमार सोनी आ. श्री कामता प्रसाद सोनी है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा मिसल कार्ड के पटवारी प्रतिवेदन में दर्ज है। मैं अपने सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे सुशील कुमार सोनी (Sushil Kumar Soni) आ. श्री कामता प्रसाद सोनी (Shri Kamta Prasad Soni) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
सुशील (Sushil) पिता-श्री कामता प्रसाद (S/o-Shri Kamta Prasad) निवासी-मकान नं.-20, वार्ड नं.-19, साकेत कालोनी, सिंधिया नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुशील कुमार सोनी (Sushil Kumar Soni) पिता-श्री कामता प्रसाद सोनी (S/o-Shri Kamta Prasad Soni) निवासी-मकान नं.-20, वार्ड नं.-19, साकेत कालोनी, सिंधिया नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार छाबड़ा आत्मज श्री राम भिलैया, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. ए/बी, स्ट्रीट-11, सेक्टर-2, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राकेश कुमार आ. श्री राम भिलैया दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “छाबड़ा” जोड़कर नया व पूर्ण नाम राकेश कुमार छाबड़ा रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे राकेश कुमार छाबड़ा (Rakesh Kumar Chhabra) आ. श्री राम भिलैया (Shri Ram Bhilaiah) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
राकेश कुमार (Rakesh Kumar) पिता-श्री राम भिलैया (S/o- Shri Ram Bhilaiah) निवासी-क्वा. नं.- ए/बी, स्ट्रीट-11, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राकेश कुमार छाबड़ा (Rakesh Kumar Chhabra) पिता-श्री राम भिलैया (S/o- Shri Ram Bhilaiah) निवासी-क्वा. नं.-ए/बी, स्ट्रीट-11, सेक्टर-2, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेश कुमार जाधव आत्मज श्री एकनाथ जाधव, उम्र 47 वर्ष, निवासी-मिनाक्षी नगर, वार्ड नं.-52, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम नरेश कुमार आ. श्री एकनाथ दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम के साथ उपनाम “जाधव” जोड़कर पूर्ण नाम नरेश कुमार जाधव आ. श्री एकनाथ जाधव रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह पूर्ण नाम/उपनाम मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व अभिलेख, पेनकार्ड व आधार कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे नरेश कुमार जाधव आ. श्री एकनाथ जाधव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
नरेश कुमार पिता-श्री एकनाथ निवासी-मिनाक्षी नगर, वार्ड नं.-52, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नरेश कुमार जाधव पिता-श्री एकनाथ जाधव निवासी-मिनाक्षी नगर, वार्ड नं.-52, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल सत्तार खान आत्मज श्री अब्दुल रहीम शेख, उम्र 63 वर्ष, निवासी-नई मस्जिद के पास, वार्ड नं.-41, सुभाष नगर, केलाबाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) आ. अब्दुल रहीम शेख (Abdul Rahim Sheikh) दर्ज है, जबकि मैं अब्दुल सत्तार खान के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ मैं अपने नाम के साथ उपनाम “खान” जोड़कर नया नाम अब्दुल सत्तार खान आ. श्री अब्दुल रहीम शेख रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम/उपनाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब मुझे अब्दुल सत्तार खान (Abdul Sattar Khan) आ. श्री अब्दुल रहीम शेख (Shri Abdul Rahim Sheikh) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

अब्दुल सत्तार
(Abdul Sattar)
पिता-श्री अब्दुल रहीम शेख
(S/o-Shri Abdul Rahim Sheikh)
निवासी-नई मस्जिद के पास,
वार्ड नं.-41, सुभाष नगर,
केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अब्दुल सत्तार खान
(Abdul Sattar Khan)
पिता-श्री अब्दुल रहीम शेख
(S/o-Shri Abdul Rahim Sheikh)
निवासी-नई मस्जिद के पास,
वार्ड नं.-41, सुभाष नगर,
केलाबाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शलजू कसेर ध. प. श्री वैभव कसेर, उम्र 26 वर्ष, निवासी-मकान नं.-339, वार्ड नं.-09, चंद्राकर ट्रेडर्स बाजू, शिक्षक नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम शलजू चंद्राकर आत्मजा श्री शिव कुमार चंद्राकर था। मेरा विवाह दिनांक 03-02-2017 को श्री वैभव कसेर के साथ संपन्न हुआ। विवाह पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शलजू कसेर रख ली हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब मुझे श्रीमती शलजू कसेर (Smt. Shalju Kaser) ध. प. श्री वैभव कसेर (Shri Vaibhav Kaser) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

शलजू चंद्राकर
(Shalju Chandrakar)
पिता- श्री शिव कुमार चंद्राकर
(S/o-Shri Shiv Kumar Chandrakar)
निवासी-प्रेम सागर चौक,
बैगापारा, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती शलजू कसेर
(Smt. Shalju Kaser)
पति- श्री वैभव कसेर
(W/o-Shri Vaibhav Kaser)
निवासी-मकान नं.-339,
वार्ड नं.-09, चंद्राकर ट्रेडर्स
बाजू, शिक्षक नगर, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2020

प्र. क्र. 08/ब-113 (1)/वर्ष 2019-20

क्रमांक/Q/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रचना गोयल, कार्यकारी न्यासी पति नीतेश गोयल निवासी मकान नंबर 21 ऐश्वर्या विंडमिल बी. एस. एन. एल. आफिस के पास व्ही. आई. पी. स्टेट, खम्हारडीह रायपुर छ. ग. की ओर से उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप सरकार ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “मुस्कान फाउण्डेशन” पता -21 ऐश्वर्या विंडमिल, बी. एस. एन. एल. आफिस के पास व्ही. आई. पी. स्टेट, खम्हारडीह रायपुर छ. ग. का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति की पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता :- | “मुस्कान फाउण्डेशन” पता -21 ऐश्वर्या विंडमिल, बी. एस. एन. एल. आफिस के पास व्ही. आई. पी. स्टेट, खम्हारडीह रायपुर छ. ग. |
| 2. | चल संपत्ति :- | निरंक |
| 3. | अचल संपत्ति :- | निरंक |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 15-6-2020 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 2-6-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)

फाइल संख्या/सीजीसीएसपी/समकक्षता//प्रकाशन/मार्च/03

दिनांक 03 मार्च, 2020

समकक्षता के संबंध में नोटिफिकेशन

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को निम्नलिखित बोर्ड/काउंसिल/विवि द्वारा काउंसिल की परीक्षाओं को पारस्परिकता के आधार पर समकक्ष मानते हुए समकक्षता प्रदान की गयी है :-

01. वनस्थली विद्यापीठ

पता-पो. वनस्थली विद्यापीठ 304022 राजस्थान

समकक्षता/मान्यता-

वनस्थली विद्यापीठ द्वारा काउंसिल को संबोधित पत्र क्र. शै./समकक्षता/2013-14, 3008 दिनांक 28-09-2013 द्वारा निम्नलिखित बोर्ड/काउंसिल से समकक्षता प्राप्त होना उल्लेखित किया है-

- I. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली,
- II. काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली,
- III. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
- IV. हरियाणा स्कूल एजुकेशन, बोर्ड, भिवानी,
- V. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली,
- VI. असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, गुवाहाटी,
- VII. काउंसिल आफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन भुनेश्वर,
- VIII. त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला,
- IX. बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर,
- X. गोवा बोर्ड आफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पोरबोरिम,
- XI. बोर्ड आफ सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी एजुकेशन, पुणे,
- XII. नेशनल ओपन स्कूल, दिल्ली,
- XIII. बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर,
- XIV. कोबसे सदस्यता

02. दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट

दयालबाग, आगरा 282005 उ. प्र.

समकक्षता/मान्यता-

- I. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली,
- II. माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
- III. उत्तर प्रदेश, शासन से मान्यता
- IV. कोबसे सदस्यता

उक्त बोर्ड/काउंसिल/विवि द्वारा काउंसिल परीक्षाओं को पारस्परिकता के आधार पर समकक्ष मान्य किया गया. अन्य बोर्ड/काउंसिल में समकक्षता का आवेदन लंबित है निराकरण होने पर होने पर उनका नाम सूची में उनका नाम जोड़ा जा सकेगा. अन्य बोर्ड की सूची प्रकाशित की जा चुकी है.

फाइल संख्या/सीजीसीएसपी/नियम/प्रकाशन/अप्रैल/05

दिनांक 05 अप्रैल, 2020

अन्य राज्यों में काउंसिल के नाम परिवर्तन के संबंध में नोटिफिकेशन

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्य में नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है.

01. छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से ही संचालित किया जायेगा.
02. काउंसिल को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों में काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के नाम से संचालित किया जायेगा अथवा उस राज्य के नाम के साथ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जोड़कर किया जायेगा.
03. काउंसिल को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जायेगा और काउंसिल अन्य राज्यों में संचालित होने के लिए उस राज्य के शासन से अनापत्ति लेकर ही संचालित किया जायेगा अथवा उस राज्य के राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से समकक्षता लेकर काउंसिल को संचालित किया जायेगा.

फाइल संख्या/सीजीसीएसपी/नियम/प्रकाशन/अप्रैल/06

दिनांक 05 अप्रैल, 2020

सभी राज्यों में काउंसिल के राज्य, जिला एवं ब्लाक मान्यता समिति के गठन के संबंध में नोटिफिकेशन

छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का सभी राज्यों में राज्य, जिला एवं ब्लाक मान्यता समिति के गठन के संबंध निम्नलिखित प्रावधान करती है -

01. छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का सभी राज्यों में राज्य मान्यता समिति गठित किया जावेगा.
02. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का सभी राज्यों के सभी जिला में जिला मान्यता समिति गठित किया जावेगा.
03. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का सभी राज्यों के ब्लाक स्तर में ब्लाक समिति गठित किया जावेगा.
04. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का सभी मान्यता समितियों में कम से कम 07 एवं अधिकतम 11 सदस्य मनोनित की जावेगी. सभी मनोनयन काउंसिल के द्वारा अथवा काउंसिल के निर्देशन में किया जावेगा.
05. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के सभी मनोनित सदस्यों से निर्धारित सदस्यता शुल्क ली जा सकेगी, जिसका उपयोग काउंसिल करेगी और सदस्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी नहीं होगी.
06. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के सभी मान्यता समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के शिक्षा विद, वकील, जज और जन प्रतिनिधियों को काउंसिल के संरक्षक सदस्य के रूप में मनोनित करेंगे एवं संरक्षक सदस्य से काउंसिल को राज्य सरकार/ राज्य शिक्षा बोर्ड से समकक्षता एवं मान्यता दिये जाने के लिए अनुसंशा करेंगे.
07. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन की सभी समितियां राज्य सरकार से मान्यता अथवा राज्य के बोर्ड से समकक्षता लेने में सहयोग करेंगे.

08. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के सभी सदस्य केवल एक शैक्षणिक संगठन के शैक्षणिक कार्यकर्ता रहेंगे जो काउंसिल को सुझाव दे सकेंगे। सभी मान्यता समितियों के सदस्य काउंसिल के बाह्य सदस्य होंगे काउंसिल के कार्यकारणी या प्रमुख समिति में स्थान नहीं होगा और किसी भी प्रकार के मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे।
09. छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के सभी मान्यता समिति का कार्यकाल मान्यता/समकक्षता लेने तक ही होगा इसके बाद स्वयं समाप्त हो जावेगी या कभी भी जब काउंसिल को उचित लगेगा किसी भी समिति को बिना पूर्व सूचना के भंग कर सकेगी।

फाइल संख्या/सीजीसीएसपी/नियम/प्रकाशन/अप्रैल/08

दिनांक 05 अप्रैल, 2020

काउंसिल के हिन्दी नाम के संबंध में नोटिफिकेशन

छत्तीसगढ़ काउंसिल आफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का हिन्दी अनुवाद के संबंध निम्नलिखित प्रावधान करती है -

01. छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन का हिन्दी नाम/अनुवाद छत्तीसगढ़ स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा परिषद् होगा और काउंसिल को हिन्दी में छत्तीसगढ़ स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के नाम से जाना एवं लिखा जावेगा या लिखा पढ़ा जा सकेगा।
02. छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित सभी प्रपत्र, निर्देश एवं आदेश प्रधान कार्यालय से हिन्दी भाषा में जारी किया जावेगा।
03. छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ स्कूल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित सभी प्रपत्र, निर्देश एवं आदेश राज्य कार्यालय द्वारा राज्य के भाषा या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रसारित की जा सकेगी जिसमें मूल पत्र की प्रति संलग्न कराना होगा।

डी. पी. जोशी
सचिव.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपबा/परि./2020/59.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत रेत खदान सहकारी समिति मर्या. पेटेचुआ पं. क्र. 2624 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत रेत खदान सहकारी समिति मर्या. पेटेचुआ पं. क्र. 2624 विकासखंड-डोंडी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/60.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवसाक्षर आदिवासी महिला मत्स्य सहकारी समिति मर्या. पीपरखार पं. क्र. 2538 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत नवसाक्षर आदिवासी महिला मत्स्य सहकारी समिति मर्या. पीपरखार पं. क्र. 2538 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. झा/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/61.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सहगाँव पं. क्र. 2727 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. सहगाँव पं. क्र. 2727 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/62.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रेंगाडबरी पं. क्र. 2728 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. रेंगाडबरी पं. क्र. 2728 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/63.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. उरेटा पं. क्र. 2429 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. उरेटा पं. क्र. 2429 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/64.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. मटिया बी पं. क्र. 2987 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. मटिया बी पं. क्र. 2987 विकासखंड-बालोद, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/65.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत जय छ. ग. श्रमिक सहकारी समिति मर्या. चिटौद पं. क्र. 156 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत जय छ. ग. श्रमिक सहकारी समिति मर्या. चिटौद पं. क्र. 156 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/66.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत नवयुवक खदान सहकारी समिति मर्या. उरेटा पं. क्र. 2617 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत नवयुवक खदान सहकारी समिति मर्या. उरेटा पं. क्र. 2617 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/67.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. कसही पं. क्र. 2610 विकासखंड-डौंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदर्श खदान सहकारी समिति मर्या. कसही पं. क्र. 2610 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/68.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत आदिवासी खदान सहकारी समिति मर्या. मडियाकटटा पं. क्र. 2612 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत आदिवासी खदान सहकारी समिति मर्या. मडियाकटटा पं. क्र. 2612 विकासखंड-डोंडीलोहारा, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. आर. कलामें/व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/78.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भैसमुड़ी पं. क्र. 2444 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. भैसमुड़ी पं. क्र. 2444 विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/79.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मुस्केरा पं. क्र. 2443 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. मुस्केरा पं. क्र. 2443 विकासखंड-गुरूर, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 08 जनवरी 2020

क्रमांक/उपंबा/परि./2020/80.— छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पेटेचुआ पं. क्र. 2445 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को निर्धारित समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने व संस्था लंबे समय से अकार्यशील होने के कारण उद्देश्यहीन हो गयी है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उपंबा/681 दिनांक 12-12-2017 एवं पत्र क्रमांक/486 दिनांक 01-06-2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया परंतु निर्धारित समय के उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का कोई जवाब इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. इससे प्रगट होता है कि समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं मुकेश कुमार ध्रुव उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी बालोद छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/एफ-15/दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अंतर्गत प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या. पेटेचुआ पं. क्र. 2445 विकासखंड-डौण्डी, जिला-बालोद को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

अतः समिति का समस्त लेनदेन पूर्ण करने के लिये छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जितेश कुमार साहू/स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 08-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश कुमार ध्रुव,
उप पंजीयक.